राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

①

क्रमांकः–एफ24(NOC18-19)/बी.एड/आकाशि/18/244 दिनांकः–02.4.2018

आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा **बी.एड./बी.पी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम)** के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालययों/विश्वविद्यालयों हेतु सत्र 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों अथवा सत्र 2015–16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से, जो भी कम हो की प्रदत्त मान्यता के अनुसरण में **सत्र 2018–19 के लिए** संलग्न सूची के अनुसार शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालययों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.एड. कोर्स में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी.2018 परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.पी.एड कोर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्री.बी.पी.एड. परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदेश में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित नोडल एजेन्सी के माध्यम से प्रवेश पूर्व परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
7. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन /सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
8. राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018–19 के लिए अभिवृद्धि शुल्क राशि रूपये 25000/– राजकोष के मद **0202–01–103–02–03बी.एड.महाविद्यालय से प्राप्तियां** में जमा कराकर काउन्सलिंग से पूर्व सम्बन्धित नोडल एजेन्सी में ई–चालान रसीद की एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय,कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर में अनिवार्य रूपसे से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. **समस्त शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें स्वयं की वेबसाईट निर्मित करेगें। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाईट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा :–**
   i. महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
   ii. महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, प्रायोगशाला, माप एवं चित्र
   iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामाकिंत छात्रों की संख्या (कुल स्वीकृत सीट,प्रवेशित छात्रों की संख्या)
   iv. एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   v. प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट भी करनी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

2/4

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति०मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.ए.बी.एड./बी.एससी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं से ई–चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
6. समन्वयक, प्री.बी.पी.एड. 2018, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं से ई–चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
7. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
8. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
9. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
10. रजिस्ट्रार/सचिव/ प्राचार्य, सभी शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
11. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राज्य में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों को सत्र 2018–19 के लिए B.P.Ed.(2 year) Course हेतु नवीनीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सूची

S.No.	District	Institute Name	Total Seats
1.	Jodhpur	राज. शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर	120 (सेवारत–30)
2.	Jaipur	देवीदत्त डालमिया शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर	100
3	Udaipur	राणा प्रताप शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भिण्डर, उदयपुर	100 (20 माडा, 20 टाडा)
4	Ajmer	सनातम धर्म शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकडी, अजमेर	100
5	Kauroli	आदर्श शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सूरोठ, करौली	100
6	Bikaner	द्वारका शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नालबडी, बीकानेर	100
7	Baran	भारत माता शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, किशनगंज, बांरा	100
8	Bhilwara	नारायणी देवी वर्मा महिला आश्रम शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भीलवाडा	100
9	Udaipur	कृष्णा शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मावली, उदयपुर	50
10	Ajmer	दयानन्द शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	50
11	Shri Ganganagar	टांटिया यूनिवर्सिटी, दयानन्द शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	100
12	Chittorgarh	श्री नाथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बड़ी सादड़ी, विनायक रोड़,चित्तौड़गढ़	100
13	Udaipur	पेसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन,पेसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, देबारी,गिरवा, उदयपुर	100
14	Jaipur	डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	50